

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 31/2020

निर्णय दिनांक -17.06.2020

श्रीमति जशोदा वाई पत्निओमप्रकाश जी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी ब्यावर हा0मु0 उंखलिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज0।

- प्रार्थी

// वनाम //

1. अम्बालाल पिता भुराजी जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी नवाबपुरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
2. नाथु पिता भुराजी जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी नवाबपुरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
3. मदन पिता नाथुजी जी जाति मेघवालउम्र वयस्क निवासी सरथल तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
4. रमेश पिता उंकारलालजी जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उंखलिया तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
5. रा0उ0प्रा0 विद्यालय सरथल जरिये प्रधानाध्यापक रा0उ0प्रा0 विद्यालय सरथल तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज0।

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट
आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा नवाबपुरा पटवार हल्का टाई, तह0 निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 28 की आराजी नं0 89 रकबा 0.1700 हैक्टेयर आराजी नं0 90 रकबा 0.5800 हैक्टेयर कुल कीता 2 कुल रकबा 0.7500 हैक्टेयर की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा नवाबपुरा पटवार हल्का टाई तह0 निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 28 की आराजी नं0 89 रकबा 0.1700 हैक्टेयर आराजी नं0 90 रकबा 0.5800 हैक्टेयर कुल कीता 2 कुल रकबा 0.7500 हैक्टेयर की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 17.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

Uol

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

